आसान नहीं है पेड न्यूज पर नियंत्रण पाना

चुनाव आयोग की सक्रियता और जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव से ही यह संभव हो सकेगा।

गौरीशंकर राजहंस
पूर्व सांसद और पूर्व राजदूत

युवा सांसद मनीष तिवारी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभालते ही जो बातें कहीं, उनमें पेड न्यूज पर रोक लगाना सबसे अहम था। इसके पहले, जैसे ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभाओं के चुनावों की घोषणा हुई, चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा कि उसे शिकायत मिली है कि गत लोकसभा व विभिन्न विधानसभा चुनावों में पेड न्यूज की मदद लेकर चुनावों को दूषित किया गया। इस बार वह पेड न्यूज पर पूरी तरह नजर रखेगा और जो भी प्रत्याशी या उनकी पार्टी पेड न्यूज का सहारा लेकर अपना लाभ और प्रतिद्वंद्वियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आयोग पहले भी ऐसी घोषणाएं करता रहा है, फिर भी कई उम्मीदवारों ने पेड न्यूज का सहारा लिया।

वैसे पेड न्यूज कोई नई बीमारी नहीं है। 80 के दशक में जब कुछ हिंदीभाषी राज्य सरकारों ने यह देखा कि उनके पक्ष की खबरें समाचारपत्रों में नहीं छपतीं, तो उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ़ निकाला। अपने पक्ष की खबरों को वे समाचारपत्रों में विज्ञापन के रूप में छपवाने लगीं। यह राज्य सरकारों के लिए और समाचारपत्रों, दोनों के लिए लाभप्रद था। समाचारपत्रों को विज्ञापन के रूप में ढेर सारा पैसा मिल जाता था और राज्य सरकारों का उद्देश्य पूरा हो जाता था। वे जो कुछ कहना चाहती थीं, सब कुछ उस विज्ञापन में विस्तार से वर्णित रहता था। इस तरह के विज्ञापन के नीचे अत्यंत महीन अक्षरों में 'विज्ञापन' लिखा जाता था। लेकिन पेड न्यूज चर्चा के केंद्र में तब आई, जब गत लोकसभा चुनाव में विभिन्न हिंदीभाषी राज्यों से ऐसी खबरें आने लगीं कि कई क्षेत्रीय समाचारपत्रों के संवाददाता प्रत्याशियों से मोटी रकम मांग रहे हैं। बदले में वे उन्हें आश्वासन दे रहे कि वे उनके पक्ष में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ढेर सारी पॉजिटिव खबरें छापेंगे। साथ ही ऐसी धमकियों की भी खबरें आईं कि अगर रकम नहीं दी गई, तो उनके खिलाफ खबरें छप सकती हैं। क्षेत्रीय समाचारपत्रों की देखादेखी कई टीवी चैनलों ने भी पेड न्यूज का कारोबार धड़ल्ले से किया।

पिछली सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस सिलसिले में संसद में बार-बार कहा कि सरकार और चुनाव आयोग इस बारे में पूरी तरह सचेत है और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में पेड न्यूज को लेकर आवश्यक सुधार किया जाएगा। परंतु आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जिस तरह रिश्वत देने वाला और लेने वाला सारा काम चुपचाप करता है और किसी को कानोंकान उसकी खबर नहीं होती, उसी तरह पेड न्यूज का कारोबार भी चुपचाप होता है। कुछ ही मामलों में चुनाव आयोग पेड न्यूज को पकड़ पाया है। एक ही ऐसा उदाहरण है, जब किसी का निर्वाचन पेड न्यूज की वजह से रद्द हुआ हो। अगर चुनाव आयोग की यह सक्रियता बढ़ती है, तो निश्चित रूप से इस गलत कारोबार पर रोक लगाना मुश्किल नहीं होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)